

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-741) अलेसे-I/ 1891-1894

दिनांक:- 23/11/2022

श्री श्रीराम शर्मा,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I,
कार्यालय मुख्य अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जयपुर।

कारण बताओ नोटिस

विषय:- नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं करने के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक 525 दिनांक 15.06.2022 के द्वारा आपका स्थानान्तरण मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर में किया गया था, किन्तु आप द्वारा आदिनांक तक नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया। आप द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करना गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप निदेशालय के आदेश दिनांक 15.06.2022 की पालना में अतिशीघ्र नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करें एवं आदिनांक तक नवपदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किये जाने के सम्बंध में अपना स्पष्टीकरण तीन कार्य दिवस में आवश्यक रूप से इस विभाग को प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे।



(धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-741) अलेसे-I/ 1891-1894 दिनांक:- 23/11/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)